

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 1427/PROJ-41/109/2025-WRD(F-7),
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 23/03/2026

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- बिलासपुर जिले के विकासखण्ड-कोटा की सतनाला व्यपवर्तन योजना की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

संदर्भ :- प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक-752/बोधी/RAA/2015/8112, दिनांक 19.09.2024.

—00—

राज्य शासन एतद् बिलासपुर जिले के विकासखण्ड-कोटा की सतनाला व्यपवर्तन योजना हेतु लागत रु. 681.52 करोड़ (रूपये छः करोड़ इक्यासी लाख बावन हजार) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करता है :-

1. यह लागत अंतिम स्वीकृत लागत होगी तथा विभाग इस स्वीकृत लागत के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
2. योजना से 158 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है।
3. योजना पर व्यय बजट मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल, 0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (3828)-लघु सिंचाई योजना #97-निर्माण कार्य, 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
4. वित्त विभाग द्वारा उनके E Comp. No.:106219 File No.:FINACC-38029/883/2025-FINANCE, दिनांक 20.03.2026 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।
5. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृति (T.S.) सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जाये तथा कार्य नियमावली एवं शासकीय नियमों/निर्देशों में निर्दिष्ट समस्त औपचारिकताओं का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाये।
7. कार्य की ड्रॉईंग व डिजाईन कर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित किया जाये।
8. प्रस्तावित निर्माण कार्य की निविदा कम से कम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने पर ही की जाये।
9. कार्य में यदि भू-अर्जन प्रस्तावित है तो स्वीकृत राशि की सीमा के अंतर्गत ही विधिवत भू-अर्जन हेतु व्यय किया जाये। किसी भी स्थिति में किसी अन्य मद की बचत राशि से भू-अर्जन की कार्यवाही बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न किया जाये।

- छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 1428 / PROJ-41/109/2025-WRD(F-7), अटल नगर, दिनांक 23/03/2026
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
6. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. कलेक्टर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।
8. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
9. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
10. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
11. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर।
13. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्डारोड, जिला-बिलासपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 23-03-2026
16:10:55

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

